अंडमान तथा निकोबार प्रशासन
सचिवालय

...

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक जनवरी, 2009.

फार्म–I
नियम 3 (1) (क) देखें

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह शहर एवं नगर योजना विनियम 1994 की धारा 7(1) के अन्तर्गत पोर्ट ब्लेयर योजना क्षेत्र के लिए मास्टर प्लान का मसौदा का प्रकाशन

अधिसूचना

सं. फा.सं. 25–1/2002–पी. डब्ल्यू. डी. (पी.एफ.) अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह शहर एवं नगर योजना विनियम, 1994 (1994 की सं. 7) की धारा 7(1)के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में पोर्ट ब्लेयर योजना क्षेत्र के लिए मास्टर प्लान का मसौदा एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और सूचित किया जाता है कि उक्त मास्टर प्लान के मसौदे की प्रतिलिपि निरीक्षण हेतु शहर योजनाकार–शहर एवं नगर योजना यूनिट, मुख्य अभियन्ता का कार्यालय, अ.लो.नि.वि., निर्माण भवन, पोर्ट ब्लेयर के अलावा निम्नलिखित कार्यालयों में सभी कार्यदिवसों में कार्यालय समय के दौरान उपलब्ध होंगे :–

1. सचिव, पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद, पोर्ट ब्लेयर ।
2. कार्यपालक अभियन्ता, निर्माण मण्डल –II अंडमान लोक निर्माण विभाग, प्रातरापूर ।
3. कार्यपालक अभियन्ता, सड़क निर्माण मण्डल, अंडमान लोक निर्माण विभाग, विम्बर्लीगंज

मास्टर प्लान का मसौदा अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के शासकीय वेबसाइट (www.and. nic.in) से भी डाऊनलोड किया जा सकता हैं । उक्त मास्टर प्लान का मसौदे का विवरण (रिपोर्टो दो खण्ड में) निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है :–

यदि किसी व्यक्ति अथवा विभाग/स्थानीय प्राधिकरण अथवा किसी को मास्टर प्लान मसौदे के सम्बन्ध में कोई आपत्ति अथवा सुझाव हो तो उसे आयुक्त एवं सचिव (लो.नि.वि) एवं शहर योजनाकार, अंडमान तथा निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर के कार्यालय में इस सूचना के प्रकाशित होने की तिथि से 30 दिनों के समाप्त होने से पहले भेजें । पोर्ट ब्लेयर के मास्टर प्लान के मसौदे के सम्बन्ध में कोई व्यक्ति अथवा विभाग/स्थानीय निकायों द्वारा आपत्तियाँ/सुझाव प्रस्तुत किए जा रहे हो तो उन्हें ये विवरण जैसे व्यक्ति/संगठन का नाम, पता, ई–मेल, आई.डी यदि हो, आदि देना होगा । आपत्तियाँ/सुझाव उपर्युक्त विवरणों सहित ई–मेल के माध्यम से atcp@and.nic.in में भी भेजा जा सकता है ।

अनुसूची

1. विद्यमान भू उपयोग मानचित्र
2. प्रस्तावित भू उपयोग मानचित्र
3. मास्टर प्लान के मसौदे के प्रावधानों का खुलासा करते हुए मानचित्र और चार्ट सहित एक विवरणात्मक रिपोर्ट
4. मास्टर प्लान के मसौदे के क्रियान्वयन के चरण
5. मास्टर प्लान के प्रवृत्त होने के प्रावधान और विकास अथवा निर्माण अथवा पुनर्निमाण के लिए अनुमति प्राप्त करने के तरीके का ब्यौरा
6. लोक प्रयोजन हेतु भूमि अर्जन का अनुमानित मूल्य और मास्टर प्लान के मसौदे के क्रियान्वयन में शामिल कार्यों का मूल्य
7. मास्टर प्लान के विविध प्रोजेक्टों के लिए प्राथमिकताएँ और मास्टर प्लान के क्रियान्वयन में विभिन्न एजेन्सियों की निर्दिष्ट भूमिका ।

Sd/-
वेद प्रकाश
आयुक्त एवं सचिव (लो.नि.वि.)
एवं नगर योजनाकार